न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04/2013

प्रार्थी–

लेखराज पुत्र माणकमल जाति ओसवाल निवासी रामसर हाल कल्याणपुरा, शिवकर रोड़, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत रामसर जरिये सरपंच
2. माणकमल पुत्र लाधुराम के कायम मुकाम–

   2.1 श्रीमती चतरूदेवी पुत्री स्व0 माणकमल पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा शिवकर रोड़, बाड़मेर

   2.2 श्रीमती चौथीदेवी पुत्री माणकमल पत्नी पारसमल जाति ओसवाल निवासी ए–704, ओपेरा हाउस, सिटी लाईट, सूरत (गुजरात)

   2.3 श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री माणकमल पत्नी अशोककुमार जाति ओसवाल निवासी सम्भवनाथ मन्दिर के पास, वीर दुर्गादास नगर, पाली
3. मोतीलाल पुत्र माणकमल जाति ओसवाल निवासी रामसर हाल कल्याणपुरा शिवकर रोड़, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 02/98 –99 दिनांक 26.02.199 को अप्रार्थी सं. 2 माणकमल के नाम ग्राम पंचायत रामसर द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री श्यामलाल सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 22.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रामसर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 स्व0 माणकमल के पक्ष मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पट्टा स. 02 दिनांक 26.02.199 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 10544 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत रामसर द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मानते हुए, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत रामसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत रामसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जिस विवादित भूमि का पट्टा सं. 2 मिसल सं. 767/06 मे जारी किया गया है, की भूमि पर स्वामित्व एवं [illegible] बारे मे कोई जांच नहीं की गई तथा अप्रार्थी सं. 2 ने [illegible] को छुपाकर गलत रूप से स्वंय का पुराना कब्जा न होते हुए भी आलौच्य पट्टा जारी करवाया गया हैं। विवादित परिसर ग्राम पंचायत रामसर मे मुनाबाव–बाड़मेर सड़क चौराहे पर प्रार्थी के संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति की 07 दुकाने आई हुई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कोई आवासीय मकान नहीं हैं। संयुक्त परिवार में माणकमल व उनके दो पुत्र हैं इसलिये यह सम्पत्ति भी अकेले माणकमल की नहीं हैं। ग्राम पंचायत को केवल पुराने आवासीय मकान का पट्टा जारी करने का अधिकार हैं। अप्रार्थी सं. 2 पिछले 15–20 वर्षों से अधिक समय से अपने व्यापार के संबंध में अहमदाबाद ही रहता हैं जिसका विवादित परिसर पर कोई कब्जा–आधिपत्य नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख की प्रति सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, तब प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा इस पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रतिलिपियां मांगी, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया कि उक्त मिसल उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित परिसर का लगभग 10544 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया हैं जो बहुत ही बड़ा भूखण्ड हैं तथा कोई आवासीय परिसर/मकान नहीं हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रामसर द्वारा संकल्प सं. 03 दिनांक 10.01.1999 के अनुसरण में मिसल सं. 02/98–99 में जारी पट्टा सं. 02 दिनांक 26.02.1999 को निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. ~~2~~3 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि माणकमल की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रामसर ने दिनांक 26.02.1999 को आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी केवल आयकर विभाग में वेल्थ टैक्स के रिटर्न के आधार पर उक्त सम्पत्ति को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति नहीं कह सकता हैं। प्रार्थी संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नहीं हैं और न ही उक्त भूखण्ड संयुक्त हिन्दु परिवार का कभी रहा हैं। प्रार्थी कई वर्षों से अलग रह कर अपना अलग व्यवसाय कर रहा हैं और प्रार्थी ने इसमें वर्णित दस्तावेज झूठे तैयार किये हैं। प्रार्थी ने [illegible] पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की विधिवत कार्यवाही की पत्रावली [illegible] जानबूझकर ही गायब करवा दिया हैं जबकि ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त पट्टा जारी करने का विधिवत रूप से पंचायत की बैठक में संकल्प पारित किया

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गया हैं। ग्राम पंचायत रामसर द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के तहत जारी किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता, अपूर्णता अथवा अवैधता साबित नहीं होती हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में यदि आलौच्य पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली मौजूद नहीं हैं तो इसके लिये अप्रार्थीगण को दण्डित नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रामसर द्वारा जारी किये गये पट्टे का भूखण्ड प्रार्थी के पिता माणकमल व उसके दो पुत्रों की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति हैं, जिसका अप्रार्थी सं. 2 माणकमल अपने अकेले के नाम से पट्टा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन हैं कि उक्त सम्पत्ति स्व0 माणकमल की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जिसका पट्टा वह अपने नाम जारी करवाने का अधिकारी था जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही सम्पन्न कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की होना अवश्यक अभिकथित किया हैं कि किन्तु यह उल्लेखित नहीं किया हैं कि यह सम्पत्ति कब व कैसे अर्जित की गई हैं, जबकि इसके विपरित अप्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी के पिता माणकमल की स्वअर्जित होने से वह इसका पट्टा अपने नाम जारी करवाने का अधिकारी था। इसके अलावा इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के द्वारा ग्राम पंचायत की कार्यवाही को अनियिमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर परीक्षण कर उचित निष्कर्ष दिया जाना हैं, जिसके लिये ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली के अभाव में बिना रेकर्ड के अवलोकन किये कोई निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं हैं। आलौच्य पट्टा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.01.1999 के संकल्प सं. 3 के अनुसरण में जारी किया जाना उल्लेखित हैं तथा ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रजिस्टर के अवलोकन से उक्त संकल्प विधिवत रूप से पारित किया जाना पाया गया हैं, ऐसे जहां तक आलौच्य पट्टा अन्तर्गत ग्राम पंचायत की कार्यवाही की सत्यता एवं वैधता का प्रश्न हैं तो अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमे पक्षकारों के स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नही हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के साथ ही आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested